न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–168/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/168)

1. कमला पत्नी सुवा जाति मेरात, निवासी छापरो का बाडिया, नून्द्री महेन्द्रतान तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. शीला पत्नी शंकर जी काठात।
3. रजिया पत्नी आदम जी काठात
   दोनो जाति काठात मेरात, निवासी करबला मार्ग, राजूजी का बाडिया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

श्रीमती हंजा बेवा लाडू(नाम तर्क)

1. भंवरू पुत्र लाडू
2. नेना पुत्र लाडू
3. मु0 सुवा बेवा सुलेमान
4. शरीफ पुत्र सुलेमान
5. रमजान पुत्र लाडू
6. सिकंदर पुत्र लाडू
   समस्त जाति चीता निवासी ग्राम छापरी का बाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ,ब्यावर।

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 उपखण्ड अधिकारी ब्यावर, राजस्व वाद संख्या 64/2001

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री अजीत सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 07.

निर्णय

दिनांकः–11.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 64/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष रेस्पोडेंट लाडू के द्वारा राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01, 02 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कर वाद पत्र को

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

निरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत वादपत्र में तनकियात कायम के पश्चात संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार खसरा नम्बर 650/1 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर 12 बीघा भूमि में दर्ज करने हेतु संशोधन किया गया। तत्पश्चात वाद को दिनांक 30.10.2023 को निर्णित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 64/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर दौराने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, ब्यावर द्वारा उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजीयात सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है एवं मौके पर सार्वजनिक रास्ता भी स्थित है जिसके बाबत अवैधानिक रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 को उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा पारित किए गए है। वादग्रस्त आराजीयात 650/1 रकबा 14 बीघा से सटती हुई आराजीयात खसरा संख्या 645, 646, 647, 648 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है एवं उपरोक्त आराजीयात में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता सरकारी आराजीयात खसरा संख्या 650/1 में स्थित है। निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 के आधार पर प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में आवगमन हेतु स्थित रास्ते की आराजीयात पर कब्जा कर उसे अप्रार्थीगण द्वारा बंद किया जा रहा है एवं उक्त रास्ते को बाधित किया जा रहा है। चूंकि मौके पर वर्तमान में लगभग 3 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वान्सी भूमि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छापरों का बाडिया विद्यालय भवन व चारदीवारी बनी हुई है एवं लगभग 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु मौके पर काम में आ रही है। शेष भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व से मकानाते व बाडे बनाकर निर्माण कर कब्जा किया हुआ है। राजस्व ग्राम रतनपुरा सरदारा पेरोफेरी ग्राम है एवं खसरा संख्या 650/1 की उक्त आराजीयात मौके पर रास्ते व स्कूल के काम आने से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। जिससे प्रार्थीगण के हक एवं अधिकार प्रभावित हो रहे है, अतः प्रार्थीगण को निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस में निवेदन किया कि अपीलांटस को निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 की पूर्व में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रही है, उक्त निर्णय व डिक्री की इजराय हेतु प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 10.06.2021 को मौके पर पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा नाप–चौप किए जाने एवं स्वयं रेस्पोडेंटस द्वारा मौके पर स्थित सार्वजनिक रास्ते को बंद किए जाने की धमकी दिए जाने पर तथा अपीलांटस को रेस्पोडेंटस द्वारा धमकाया गया कि उसके पास सक्षम न्यायालय से प्राप्त डिक्री है व शीघ्र ही रास्ता बंद कर उक्त आराजीयात पर कब्जा करेगा। तत्पश्चात अपीलांटस द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क कर एवं तहसीलदार से शिकायत की गई, जिनके द्वारा माननीय मण्डल के समक्ष उपरोक्त आराजीयात बाबत प्रकरण जेरकार होने से अवगत कराया गया, तत्पश्चात अपीलांटस द्वारा अजमेर आकर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज लेकर बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया व उसके पश्चात न्यायालय के समक्ष पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 650/1 रकबा 14 बीघा किस्म पहाडी पर्वत आराजीयात में से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 के पक्ष में 6 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

दिनांक 30.10.2003 से पारित की गई है। उक्त पारित निर्णय व डिक्री चूंकि पेराफेरी मे स्थित आराजीयात बाबत एकमात्र कब्जे के आधार पर अप्रार्थीगण के पूर्वज लादू पुत्र खुदाबक्श द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में अवैधानिक रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पारित की गई। अतः तहसीलदार ब्यावर द्वारा जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष रेफरेंस प्रकरण उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया, जिसे जिला कलक्टर अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 25.04.2013 से निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए है, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष तहसीलदार ब्यावर जरिए सरकार द्वारा उक्त प्रकरण निर्णय दिनांक 25.04.2013 को निरस्त कर रेफरेंस स्वीकार किए जाने बाबत प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि विचाराधीन हैं। रेसपोडेंट द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 की आड में अपीलांट व अन्य ग्रामवासियान के आवगमन हेतु स्थित सार्वजनिक रास्ता जो कि उक्त आराजी में से होकर गुजरता है, को बंद कर दिया गया है। जिस पर अपीलांट द्वारा माननीय मण्डल के समक्ष प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है किंतु निर्णय व डिक्री जो कि धारा 16 काश्तकारी अधिनियम के विपरीत गै0मु0 दाती की आराजीयात बाबत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा पारित की गई है व उक्त निर्णय व डिक्री जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजीयात रही है, के विरूद्ध जानकारी की दिनांक से अपीलांट ग्रामवासियान द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 650/1 रकबा 14 बीघा से सटती हुई आराजीयात खसरा संख्या 645, 646, 647, 648 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है एवं उपरोक्त आराजीयात में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता सरकारी आराजीयात खसरा संख्या 650/1 में स्थित है। निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 के आधार पर प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में आवागमन हेतु स्थित रास्ते की आराजीयात पर कब्जा कर उसे अप्रार्थीगण द्वारा बंद किया जा रहा है एवं उक्त रास्ते को बाधित किया जा रहा है। चूंकि मौके पर वर्तमान में लगभग 3 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छापरों का बाडिया विद्यालय भवन व चारदीवारी बनी हुई है एवं लगभग 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु मौके पर काम में आ रही है। शेष भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व से मकानाते व बाडे बनाकर निर्माण कर कब्जा किया हुआ है। राजस्व ग्राम रतनपुरा सरदारा पेराफेरी ग्राम है एवं खसरा संख्या 650/1 की उक्त आराजीयात मौके पर रास्ते व स्कूल के काम आने से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ री है जिस बाबत प्राप्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 25.04.2013 से निरस्त किया गया है एवं उक्त निर्णय दिनांक 25.04.2013 के विरूद्ध माननयी मण्डल के समक्ष प्रकरण जेरकार है। चूंकि निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत व गै0मु0 दांती के आराजी बाबत प्रस्तुत की गई है जिसके आधार पर इजराय हेतु प्रस्तुत प्रकरण भी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात की इजराय किया जाना संभव नहीं है, वर्णित करते हुए ड्रोप किए जाने के आदेश दिए गए है। तहसलीदार भू0अ0 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में ग्राम रतनपुरा सरदारा पेराफेरी ग्राम होने से व खसरा संख्या 650/1 मौके पर रास्ते व स्कूल के काम आने से उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आना वर्णित करते हुए डिक्री की पालना के संबंध में उचित मार्गदर्शन दिलवाने हेतु विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को अंकन किया है। जिससे स्पष्ट है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधानों के विपरीत पारित की गई है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. विद्वान अभिभाषक रेसपोडेंट ने दौराने जवाब/बहस में प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया कि यह की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 व 3 में वर्णित कथन गलत, मनगढ़त, झूठे होकर अस्वीकार है अपीलांटस वादग्रस्त आराजीयात खसरा

Scanned with CamScanner

नम्बर 650/1 से कोई लेना देना नहीं है ना ही उक्त आराजीयात में सार्वजनिक रास्ता, मकानत, बाड़े स्कूल मैदान ही अवस्थित है, व अपीलांट कतई व्यथित पक्षकार नहीं है। वरन रेस्पोडेंट पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात हड़प करने की इरादे से उक्त अपील पेश की गई है क्योंकि उक्त आराजीयात सिवायचक नहीं होकर रेस्पोडेंट की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की भूमि है जिस पर रेस्पोडेंट पीढ़ियों से कृषि कार्य कर जीवकोपार्जन करते आ रहे है। एवं उक्त भूमि में किसी भी किस्म के मकानात बाड़े, रास्ते तथा स्कूल प्रयोजन, अर्थात सार्वजनिक प्रयोजन इत्यादि नहीं है वरन कृषि भूमि है जिस पर रेस्पोडेंट काश्त करते चले आ रहे है जिससे अपीलांट उक्त आराजी खसरा नम्बर 650/1 रकबा 14 बीघा से कतई व्यथित नहीं होने से उन्हें अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदान नहीं की जा सकती। वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित प्रार्थना पत्र एल0आर0एक्ट0 संख्या 7771/2015 जिला अजमेर बउनवानी सरकार बनाम हंजा वगैराह माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है जिसमें वर्तमान अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी लगभग उक्त प्रार्थना पत्र एवं संलग्न अपील में वर्णित तथ्यों पर प्रस्तुत किया, राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 17.11.2021 को निरस्त फरमा दिया जिसकी प्रति संलग्न सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 व 3 में वर्णित कथन गलत, मनगढ़त झूठे हैं, क्योंकि 18 वर्षों में जानकारी होना कतई असंभव है एवं दिनांक 10.06.2021 को अपीलांटस न तो मौके पर आए ना ही रेस्पोडेंटस से कोई वार्तालाप हुई एवं ना ही मौके पर सार्वजनिक रास्ता अवस्थित है जिसे बंद किया गया हो वरन रेस्पोडेंट काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पोडेंट की खातेदारी की डिक्रीशुदा आराजीयात खसरा नम्बर 650/1 से वर्तमान अपीलांटस का कोई लेना देना नहीं है ना ही उक्त भूमि में कोई रास्ते, स्कूल के उपयोग मकानात अथवा बाडे इत्यादि ही मुर्तिब हैं बल्कि रेस्पोडेंटस बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं जिसकी विगत 20 से अधिक वर्षो से अपीलांटस को पूर्ण जानकारी है एवं वर्तमान अपीलांटस द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र एल0आर0एक्त संख्या 7771/ 2015 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 दिनांक 17.11.2021 को निरस्त हो जाने के तथ्य को भी माननीय न्यायालय के समक्ष छुपाया गया है जिससे वर्तमान अपीलांटस ना तो व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते है ना ही उन्हें अपील प्रस्तुती का अधिकार ही निहित है जिससे उक्त अपील भारी मियाद बाहर होकर निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। जिसका अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01, 02 ने जवाब पेश किया, उसके पश्चात वाद पत्र में तनकीयात कायम की गई। तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, तनकीयात का विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है। ग्राम रतनपुरा सरदार तहसील ब्यावर स्थित आराजी खसरा नम्बर 595/1, 595/2, 600, 601, 602 व 603 कुल रकबा 28–14–10 बीघा में विधिक रूप से साधिकार खातेदार काश्तकार चला आ रहा था तथा बिना समक्षाधिकारी के आदेश से इनमें से खसरा नम्बर 595/1 के कुल रकबा 19–02–00 बीघा मे से तथाकथित गैरकानूनी टिप्पणी के जरिये 14 बीघा भूमि सिवायचक गलत दर्ज कर दी गई, जबकि पूर्व जमाबंदी अनुसार वादी के पिता कानूनन खातेदार थे। इसलिए वादी को खसरा नम्बर 650/1 के 14 बीघा रकबे में से 6–19–00 बीघा के खातेदारी अधिकार बहाल कराने

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

का अधिकारी पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने 6-19-00 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। अपीलांट ने यह अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 को निरस्त कराने यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

10. हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र धारा 96 जा0दी0 एंव धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

11. अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 650/1 रकबा 14 बीघा से सटती हुई आराजी खसरा नंबर 645, 646, 648 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है एवं उपरोक्त आराजियात में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता सरकार आराजियात खसरा नंबर 650/1 में स्थित है । निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 के आधार पर प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आवागमन हेतु स्थित रास्ते की आराजियात पर कब्जा कर उसे अप्रार्थीगण बंद कर रहे है । यह भी कथन किया है कि खसरा संख्या 650/1 की आराजी मौके पर स्कूल के काम आने से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है जिससे प्रार्थीगण के हक व अधिकार प्रभावित हुए है। न्यायहित में हम प्रार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2003 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । चंकि अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की तत्समय जानकारी होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किए है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

13. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पो0 लाडू द्वारा वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 595 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा वादी/रेस्पो0 के पिता की खुदकाश्त की आराजी थी लेकिन उक्त आराजी से बने नवीन खसरा नंबरान में से खसरा नंबर 650/1 रकबा 14 बीघा को छोड़कर शेष भूमि तो वादी के नाम दर्ज कर दी गई किन्तु खसरा नंबर 650/1 को भू-प्रबंध विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया । विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी राजस्थान सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया गया था जिसके बिन्दू संख्या 3 में यह अंकित किया है कि " यह कि बिन्दु संख्या 6 व 7 कब्जे संबंधी कथन वादी स्वंय सिद्ध करे।" जब विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार ने जरिये नायब तहसीलदार के अपने जवाब मेंयह कथन किया है किविवादित आराजी खसरा नंबर 650/1 पर वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना कब्जा सिद्ध करे तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को इस संबंध में तनकी कायम कर वादी एवं प्रतिवादी से साक्ष्य प्राप्त कर वाद को निर्णित करना चाहिये था । विचारण न्यायालय ने इस संबंध में अपने आदेश में भी कोई विवेचन, विश्लेषण नहीं किया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना कब्जे के स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श भी अपठनीय एवं अहस्ताक्षरित है इसलिये अहस्ताक्षरित एवं अपठनीय प्रदर्श के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता था । जब प्रतिवादी/अपीलांट ने जवाब दावे के बिन्दु संख्या 3 में वादग्रस्त भूमि के कब्जे बाबत् उज्र उठाया है तो विचारण न्यायालय को कब्जे के संबंध में तनकी कायम करना आवश्यक था किन्तु विचारण न्यायालय ने कब्जे के संबंध में कोई तनकी कायम नहीं की है जिससे उक्त तनकी के अभाव में विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

14. परिणामत् अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2003 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में नवीन तनकियात कायम कर, प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner